न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 141/2022

उनवान

1. बबलू पुत्र श्री देवी लाल खटीक नि0 मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. भगवान पुत्र श्री रतना भील नि. कावरा तह. हमीरगढ।
2. गोपाल पुत्र श्री मोहन दरोगा नि. मंगरोप की झोपडिया तह. हमीरगढ।
3. मदन पुत्र श्री मोहन दरोगा नि. मंगरोप की झोपडिया तह. हमीरगढ।
4. भवर लाल पुत्र श्री लादू दरोगा नि. मंगरोप की झोपडिया तह. हमीरगढ।
5. गोपाल लाल पुत्र श्री बाबू लाल दरोगा नि. मंगरोप की झोपडिया तह. हमीरगढ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 12.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 14.11.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम मंगरोप प.ह. मंगरोप प्रथम भू.अ.नि. मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 560 की आ.न. 1103/5 रकबा 1.0748 है0, भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आय दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21.11.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 05 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम मंगरोप प.ह. मंगरोप प्रथम भू.अ.नि. मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 560 की आ.न. 1103/5 रकबा 1.0748 है0, भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लेण्ड रकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/– पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा करावे, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रु0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 12.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ